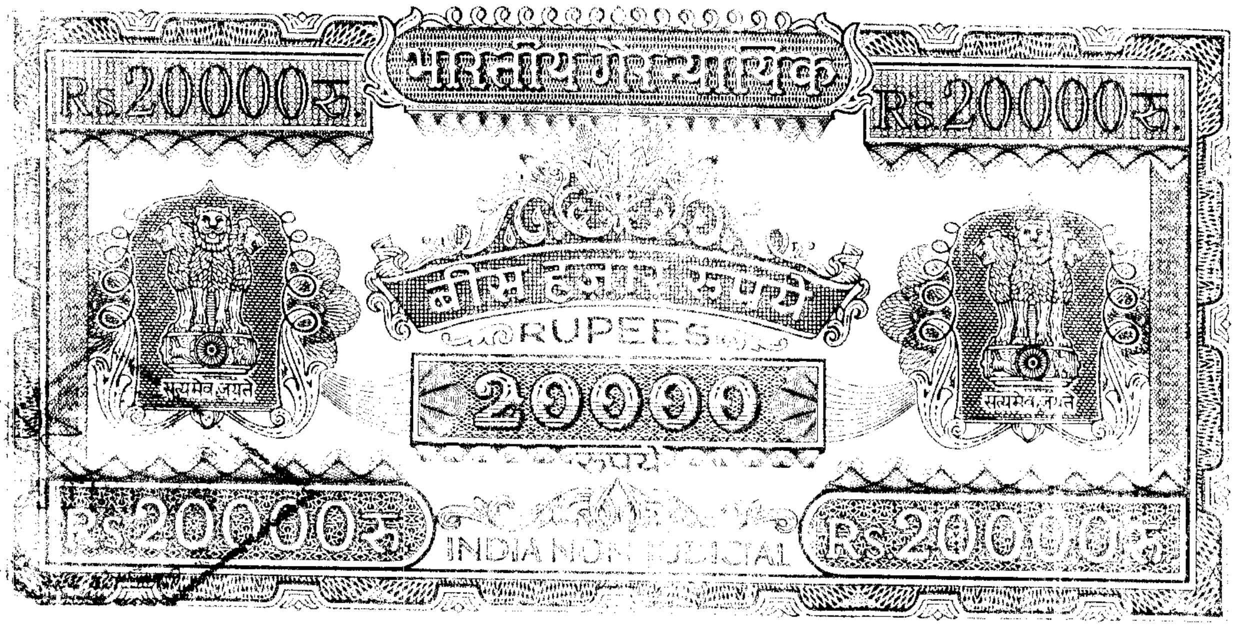

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(1)

बैनामा अंकन - 49,30,625/- रुपये का

स्टाम्प अंकन - 4,95,000/- रुपये का

विवरण विक्रय भूमि :- भूमि खाता नं0 719 खसरा नं0 2786 रकबई 0.3290 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खाता नं0 1738

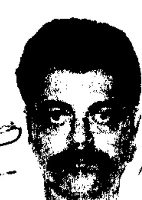

बैठे 4930 625
4950000

5000 20 5020 16770

जगदीश प्रसाद शर्मा
रामचन्द्र शर्मा
S8 18 शास्त्री नगर गाजियाबाद

1 6/06

4 5

1/6/06

49 30625 L

सुरव देव बब्बर S/o जे० एस बब्बर R/o 1862 महालक्ष्मी मार्केट भगीरथ पैलेस चांदनी चौक दिल्ली

जगदीश प्रसाद शर्मा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

खसरा नं० 2811 रकबई 0.2660 हैक्टेयर में से 3/8 भाग अर्थात 0.09975 हैक्टेयर इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 0.42875 हैक्टेयर अर्थात 4287.5 वर्गमीटर भूमि इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की जा रही है, जो ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना

सुनील सिंह
अरुण देव सिंह
113A, जंगा टावर आर डेल्ली 1104
अशोक कुमार
राजवीर
2651/5 नाजीबपुर आर के
1/6/06.

Bobber

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

डासना तहसील व जिला गाजियाबाद में स्थित है। विकित भूमि में इस समय कोई फसल नहीं है, विकित भूमि में कोई निर्माण किसी प्रकार का नहीं हैं अर्थात पूर्णतया खाली है। केता ने विकेता के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु.

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

एवं अपनी पूर्ण संतुष्टि के पश्चात विक्रेता से भूमि क्रय कर रहा है। क्रेता ने क्रय की जाने वाली भूमि को मौके पर भली प्रकार देख लिया है एवं संतुष्ट है। विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से नही है।

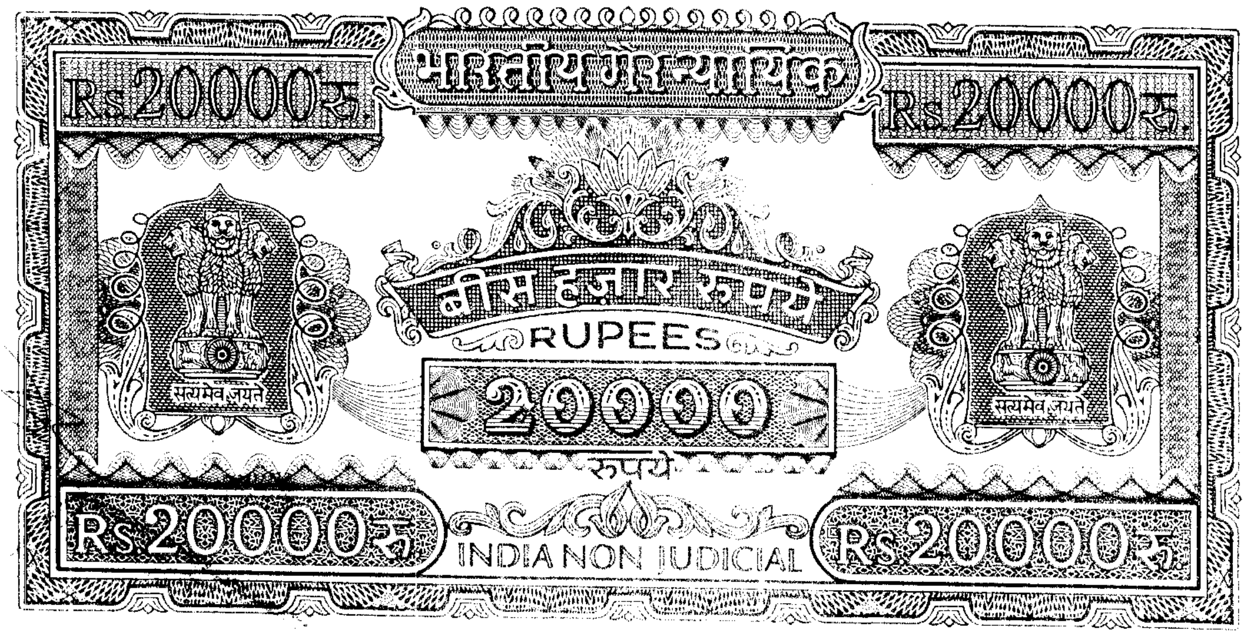

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

विक्रय भूमि ग्राम समाज, अथवा वक्फ की नही हैं। जिसका मानचित्र विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया गया है। विक्रित भूमि मुख्य मार्ग से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

हम कि **शौर्या बिल्डर्स प्रा0 लि0, 78 ई0 सै0- डी0- 2,**

1

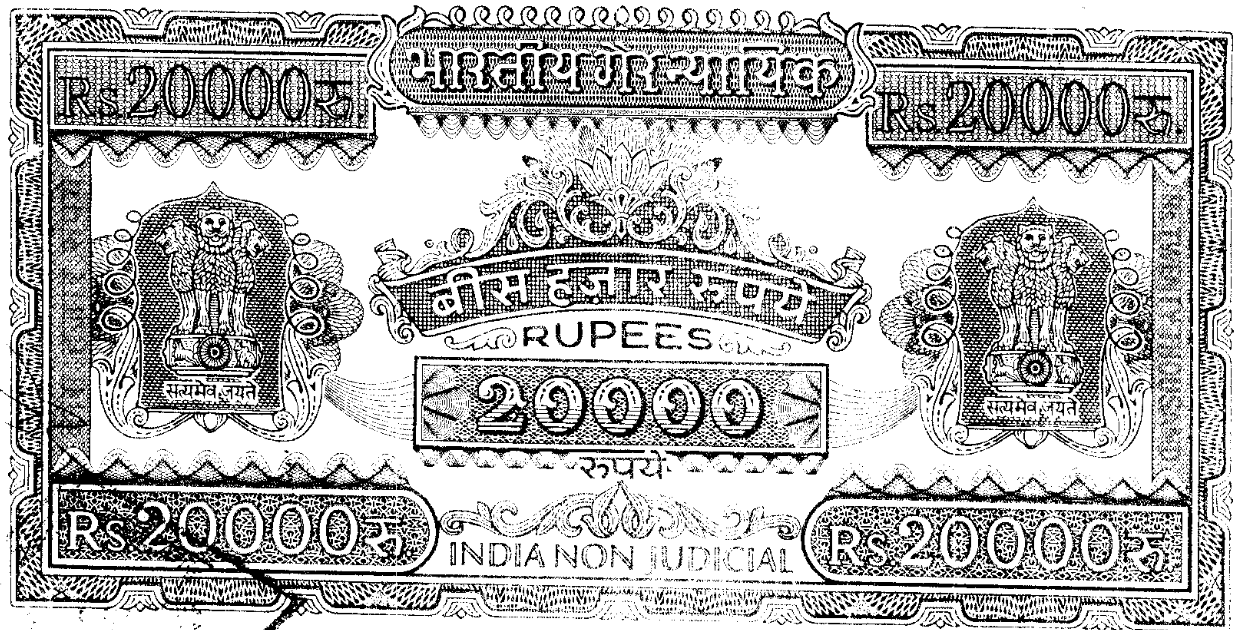

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

ग्रुप 2, डी0 डी0 ए0 फ्लैटस, कोण्डली, घडोली मयूर विहार, फेस- 3, नई दिल्ली- 96 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि **श्री सुखदेव बब्बर** पुत्र श्री जे0 एस0 बब्बर निवासी - 1862, महालक्ष्मी मार्किट भगीरथ पैलेस चांदनी

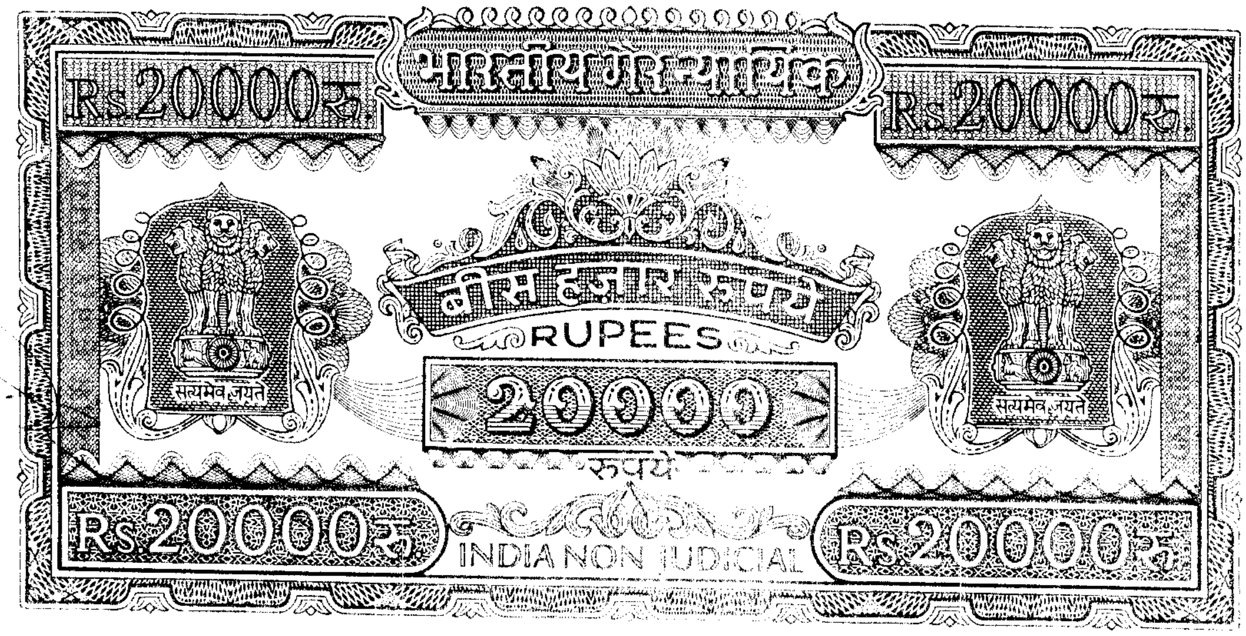

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौक दिल्ली - प्रथम पक्ष विक्रेता, जिसे इस लेखपत्र में आगे चलकर विक्रेता कहा गया है।

एवं **मैसर्स सामग डवलपर्स प्रा0 लि0 ए-69, सै0-64, नोएडा गौतमबुद्धनगर** द्वारा **श्री जगदीश प्रसाद शर्मा**

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु.

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा निवासी - एस0 आई0- 18, शास्त्रीनगर गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद - द्वितीय पक्ष केता, जिसे इस लेखपत्र में आगे चलकर केता कहा गया है।

इस लेख पत्र में विकेतागण व केता कम्पनी के समस्त

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु. बीस हज़ार रुपये RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

उत्तराधिकारीगण, वैधानिक एवं न्यायिक प्रतिनिधिगण भी पूर्णतः सम्मलित समझे जायेंगे।

विदित हो कि भूमि खाता नं0 719 खसरा नं0 2786 रकबई 0.3290 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खाता नं0 1738

भारतीय गैर न्यायिक
Rs 20000 रु.
बीस हजार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

खसरा नं0 2811 रकबई 0.2660 हैक्टेयर में से 3/8 भाग अर्थात 0.09975 हैक्टेयर इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 0.42875 हैक्टेयर अर्थात 4287.5 वर्गमीटर भूमि इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की जा रही है, जो ग्राम शाहपुर बम्हैटा

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद में स्थित है, की प्रथम पक्ष विक्रेता फर्म मालिक काबिज द्वारा खरीद विक्रय पत्र इकरारी श्री जगराम पुत्र श्री भोला, श्री गौरव व कमल पुत्रगण श्री तेज सिंह व श्रीमति राजवती पत्नी श्री

Rs 20000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs 20000 रु.

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

सत्यमेव जयते

Rs 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

तेज सिंह व श्री जगरेश, साहबराम, नरेन्द्र, सतेन्द्र, विरेन्द्र पुत्रगण श्री प्रहलाद व सतीश कुमार पुत्र श्री बुधराम सिंह निवासीगण- ग्राम गिरधरपुर सुनारसी जिला गौतमबुद्धनगर तहरीरी दिनांक 20.12.2005 जो कार्यालय उपनिबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13)

गाजियाबाद में बही नं0 1 जिल्द नं0 639 के पृष्ठ 113/148 पर नम्बर 8585 पर दिनांक 20.12.2005 को दर्ज है, तथा द्वारा खरीद विकय पत्र इकरारी श्री दीपचन्द्र पुत्र श्री दुल्ली व श्री सुरेशचन्द्र, प्रहलाद सिंह, कैलाशचन्द्र पुत्रगण श्री नैन

3 MAY 2006

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000रु.

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(14)

सिंह व जयप्रकाश, ओंकार, जोगेन्द्र, सहन्सरपाल पुत्रगण ननका उर्फ नानकचन्द निवासी- ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद व श्री अमित व सुमित पुत्रगण श्री धर्मेन्द्र कुमार निवासी- रसूलपुर नवादा सै0- 62, नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर तहरीरी दिनांक

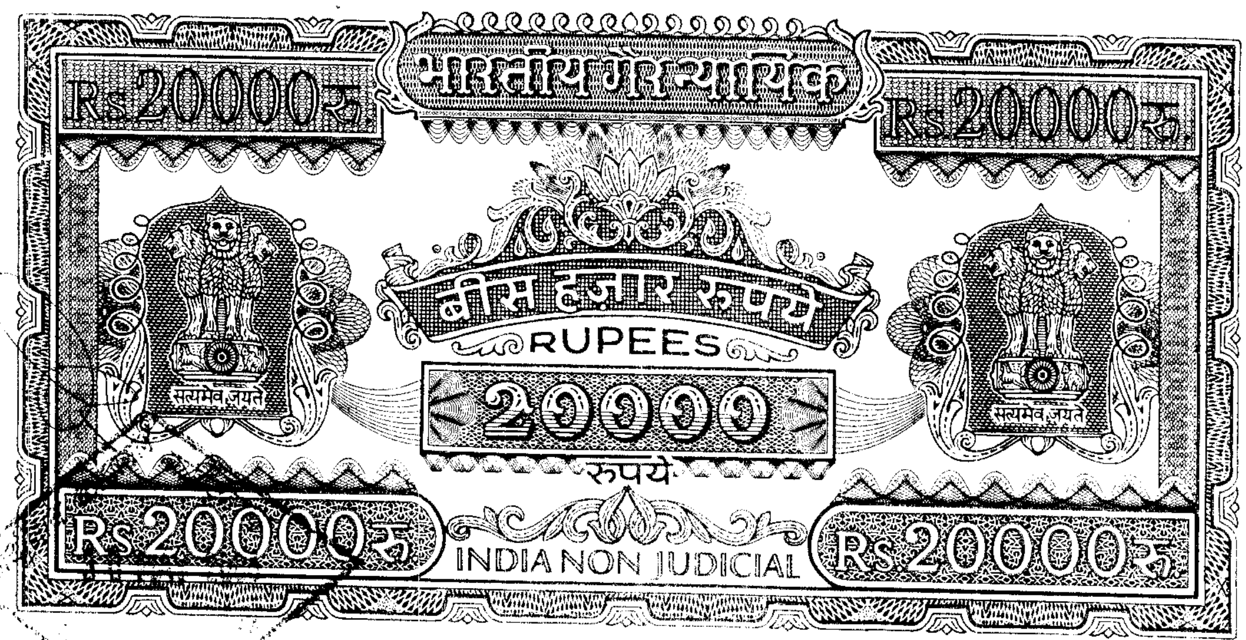

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(15)

14.12.2005 जो कार्यालय उपनिबन्धक गाजियाबाद में बही नं0 1 जिल्द नं0 6346 के पृष्ठ 125/200 पर नम्बर 8376 पर दिनांक 14.12.2005 को दर्ज है, है। तथा मैं निष्पादक फर्म उपरोक्त की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि होने के कारण फर्म

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(16)

की ओर से भूमि को विक्रय आदि के पूर्ण अधिकारी है उपरोक्त भूमि को विक्रय आदि करने में कोई वैधानिक दोष व त्रुटि नही है। उपरोक्त भूमि आज दिन तक हर प्रकार के भार बन्धक से मुक्त है, कही अन्य आड़, रहन, बय, हिबै, महायदाबय, जमानत बैंक लोन आदि से ग्रस्त नही है। हर

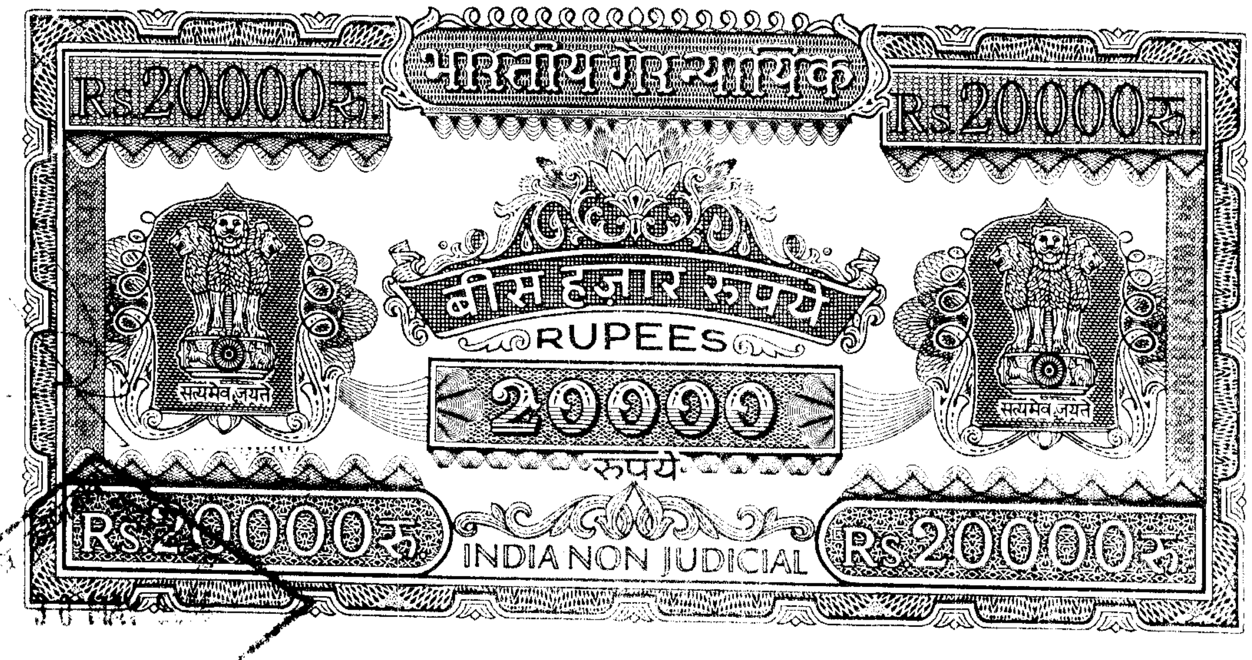

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। अतः मुझ प्रथम पक्ष निष्पादक ने फर्म की ओर से सालिम भूमि उपरोक्त को अपनी खुशी रजामन्दी समस्त स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में पूर्णतया सोच-समझकर मय तमामी हक्कूक मालिकाना दाखली व खारजी हर किसम मय कब्जा आदि आदि सहित आज

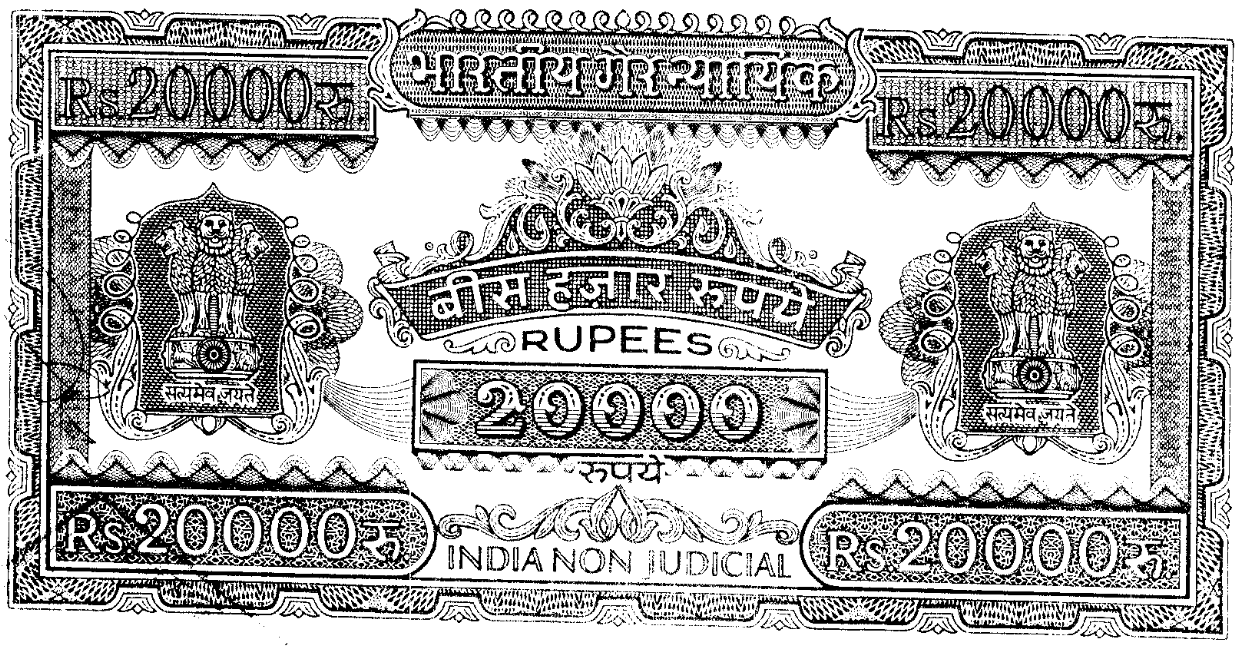

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

की तारीख में बदले अंकन - 49,30,625/- रूपये (उडन्चास लाख तीस हजार छः सौ पच्चीस रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन - 24,65,312.50 रूपये होते है, में हाथ द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी उपरोक्त को विकय कर दी और कुल

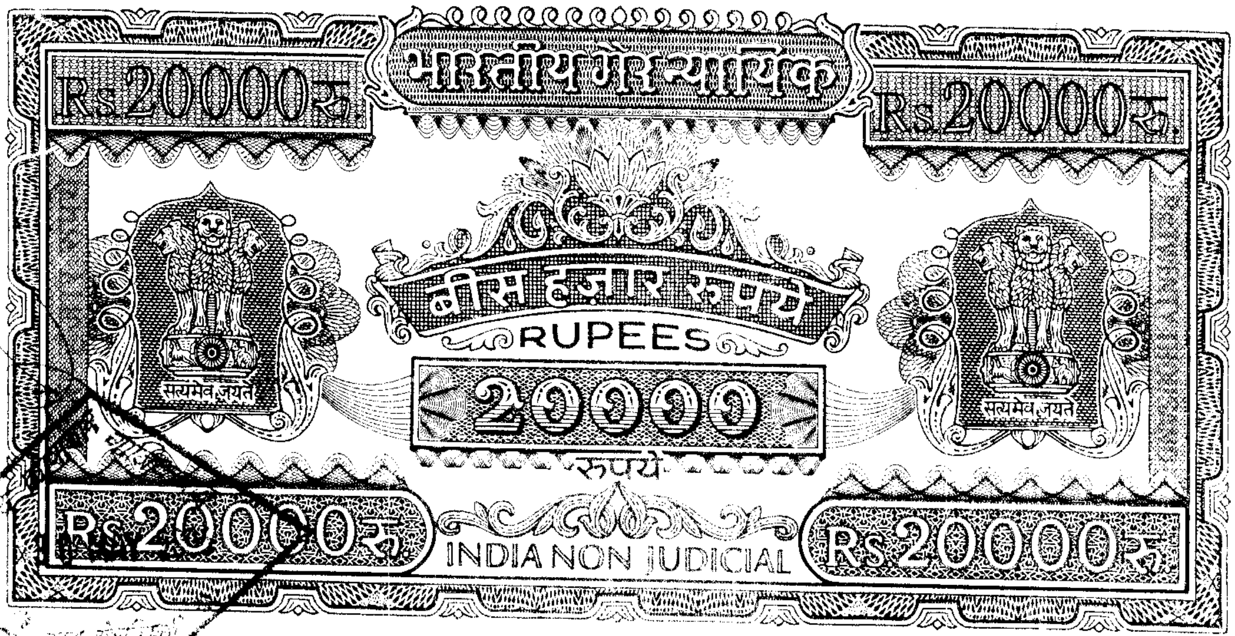

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कीमत मुझ प्रथम पक्ष निष्पादक ने द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी से निम्न विवरणानुसार प्राप्त कर ली है। इस प्रकार बाबत कीमत कुछ बाकी नही रहा है। विक्रय भूमि का बैनामा विक्रेता व केता के वर्णनानुसार लिखा गया है, अधिवक्ता/दस्तावेज लेखक का अपना कोई कथन नही

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

है। भूमि की निर्धारित आवासीय दर 1,000/- प्रति वर्गमीटर है, स्टाम्प डयूटी वास्तविक पर नियमानुसार अदा की जा रही है। विक्रेता व क्रेता ने पढकर, सुनकर व समझकर विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर किये है। अब इकरार यह कि उपरोक्त भूमि को मिलकियत उसके मूल्यधन तथा किसी

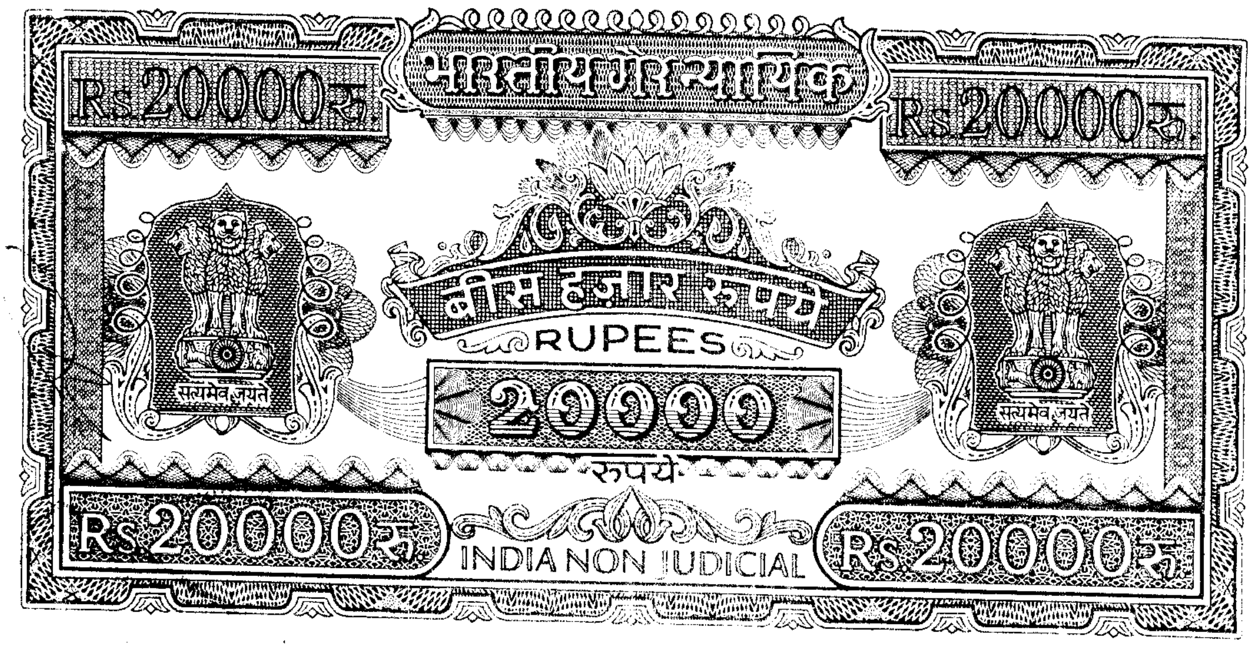

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अंग से मुझ विक्रेता फर्म अथवा मेरे किसी भी वारिसान अथवा प्रतिनिधि का कोई सम्बन्ध बाकी नही रहा है, न आइन्दा होगा। कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूप से द्वितीय पक्ष फर्म/कम्पनी उपरोक्त का करा दिया है, अब द्वितीय पक्ष फर्म/कम्पनी उपरोक्त भूमि के पूर्ण रूप से मालिक काबिज हो गये है, जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग

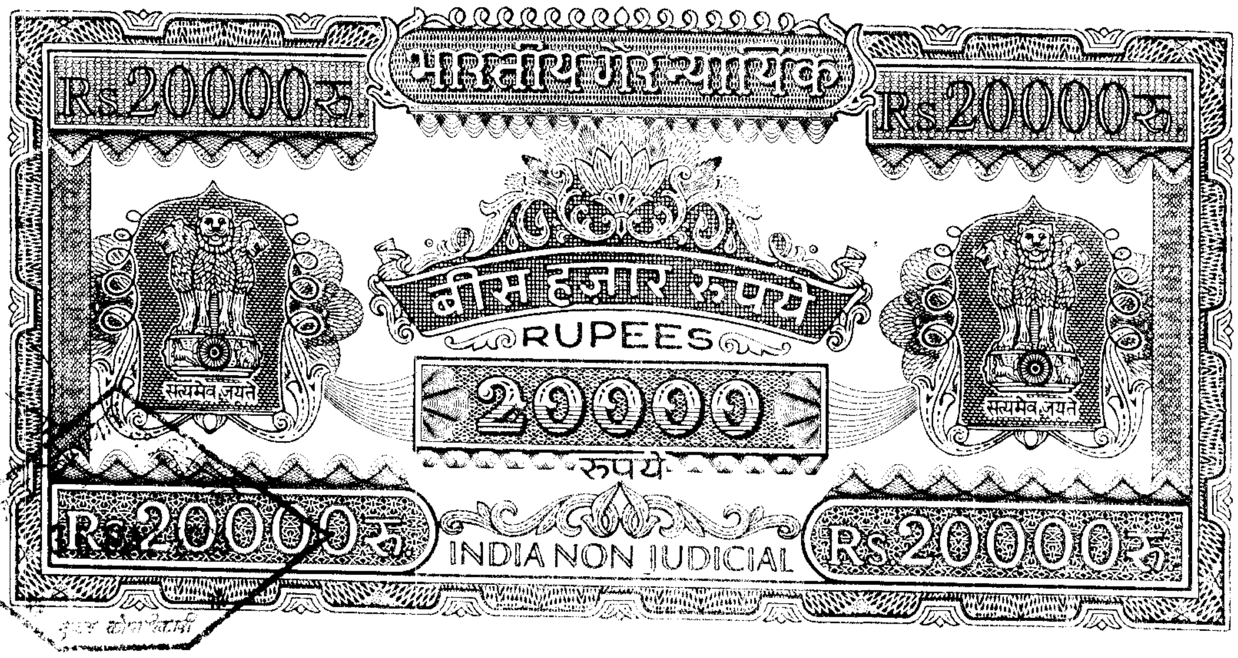

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मालिकाना में लाकर लाभ उठावें, स्वयं कृषि करे, अथवा किसी प्रकार का निर्माण अथवा कालोनी इत्यादि का निर्माण स्वयं अथवा किसी अन्य से कराये, किसी प्रकार का विक्रय पत्र आदि करे अथवा विक्रय करने का अनुबन्ध पत्र करे, गरज यह कि उक्त भूमि के विषय में जो मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष फर्म को प्राप्त थे, वे समस्त अधिकार

भारतीय गैर न्यायिक
Rs 20000 रु
बीस हजार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी को पाप्त हो गये है। समस्त राजपत्रों में द्वितीय पक्ष अपना नाम इस विकय पत्र के आधार पर स्वयं दर्ज करा ले, इस विकय पत्र का व्यय द्वितीय पक्ष ने स्वयं वहन किया है, पक्षकारान के मध्य कोई इकरारनामा महायदाबय पंजीकृत नही हुआ है। अब इकरार यह है कि अगर बावजह बेइस्तहकाकी विकेता फर्म

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

के या बदावेदारी किसी सहीम व शरीक के विक्रय की जाने वाली भूमि कुल अथवा उसका कोई भाग कब्जे या अधिकार केता से निकल जावेगा तो हर ऐसी दशा के उपस्थित होने पर फर्म विकेता समस्त विक्रय धन की वापसी का मय हर्जे-खर्चे सूद कानूनी के हिसाब से जिम्मेदार रहेंगे। उपरोक्त भूमि के विषय में भू राजस्व पाधिकारी अथवा अन्य द्वारा

5000Rs.

इस विक्रय पत्र से सम्बन्धित भूमि के रजिस्ट्रेशन के दिनांक तक की कर आदि की किसी भी देनदारी का दायित्व भूमि विक्रेतागण को होगा और इसके पश्चात समस्त जिम्मेदारी क्रेता कम्पनी की होंगी।

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

১৬ ৩০/৫/৬

আমরা স্বর্ণপর্ণ গ্রাম [illegible]

১৫৬০২ ৭ই ডিসেম্বর

৭

[illegible]দীপ পাঠক

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

विवरण वसूलयाबीः-

अंकन 49,30,625/- रुपये द्वारा चैक नं० 786507 दिनांक 10-06-2006 जो इण्डियन ओवरसीज बैंक की शाखा पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली के खाते से जारी है, प्राप्त किये, इस प्रकार कुल धनराशि प्राप्त की तथा

17
16

30/5/6
[illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2786 [illegible]

[illegible]

तहसील व जिला गाजियाबाद

[illegible] में स्थित है।

[illegible]

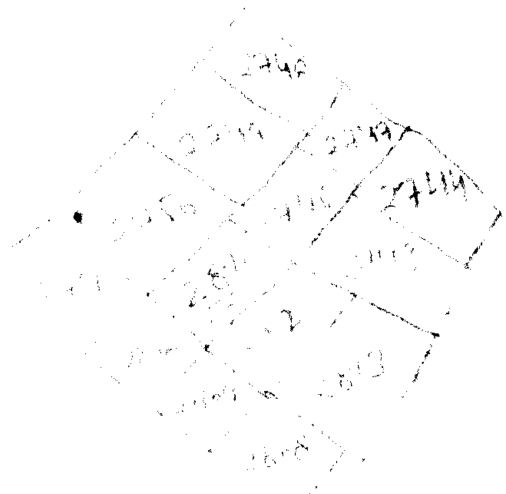

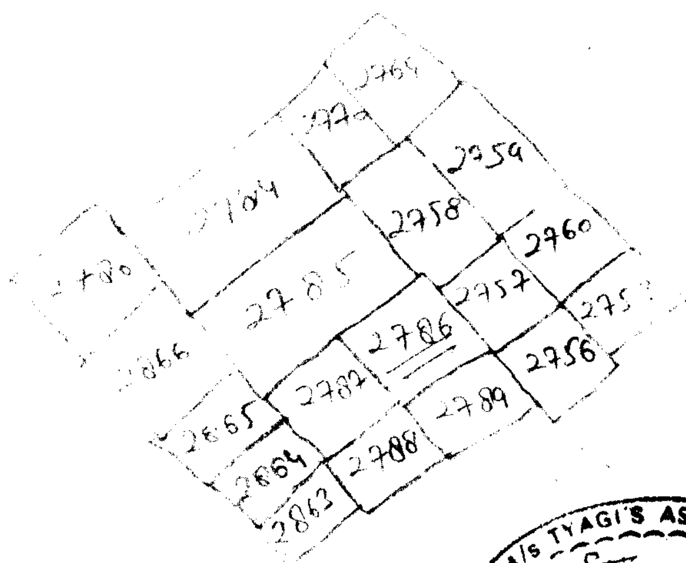

M/s TYAGI'S ASSOCIATE
H.P.D.A. LIC. No. 18
CH. No. 53
TEH. COMPOUND.

प्रथम
गाजियाबाद

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

कुछ भी शेष नही रहा है।

गवाह :- [illegible]

गवाह :- [illegible]

दिनांक:- 31-05-2006 मसौदा चौधरी ब्रह्मपाल सिह वीरभान, दस्तावेज लेखक, अनुज्ञा पत्र संख्या- 85/89, चैम्बर नं0 53, तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद।

01/6/06

सं० I जिल्द सं० ...... पृष्ठ ...... नम्बर

...... आज दिनांक ...... को रजिस्ट्री की गई।

स० र० प्रथम

गाजियाबाद